



छात्रावास के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं दिशा-निर्देश

- ❖ छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
1. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
 2. छात्र द्वारा उपक्रम (शपथ पत्र) दस रुपये के स्टाम्प पर (संलग्नक 1)
 3. माता-पिता द्वारा उपक्रम (शपथ पत्र) दस रुपये के स्टाम्प पर (संलग्नक 2)
 4. रैगिंग विरोधी शपथ पत्र दस रुपये के स्टाम्प पर (संलग्नक 3)
 5. डिग्री कार्यक्रम की शुल्क रशीद/विभाग के विभागाध्यक्ष/निदेशक का पत्र जिसमें छात्र को विभाग का प्रामाणिक माना गया हो।
 6. छात्रावास के आवेदन पत्र की प्रति (संलग्नक 4) एवं उक्त आवेदन पत्र पर अपने विभाग/संकाय के विभागाध्यक्ष/निदेशक के हस्ताक्षर
 7. सेन्टर फॉर वेल बीइंग से संबंधित गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है जिसका लिंक है (<https://forms.gle/jMYJV8vBAynaXiWEA>)

The Students Seeking admission to the hostel shall have the following documents:

1. Medical Fitness Certificate
2. Undertaking by the Student (on a Rs.10 Stamp) (Annexure 1)
3. Undertaking by the Parent (on a Rs.10 Stamp) (Annexure 2)
4. Anti-Ragging Affidavit (on a Rs.10 Stamp) (Annexure 3)
5. Fee Receipt of Degree Programme/Letter of the HOD/Director of department recognizing the student as bona-fide student of the programme.
6. Copy of the hostel application form (Annexure 4) and signature of the Head of Department/Director of your Department/Faculty on the said application form.
7. It is mandatory to fill the google form related to Centre for well being, the link of which is given below (<https://forms.gle/jMYJV8vBAynaXiWEA>).

- ❖ छात्रावास में पुनः आवंटन के इच्छुक छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करना होंगे:
1. विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी/निदेशक का विधिवत हस्ताक्षरित पत्र जिसमें यह अधिकृत किया गया हो कि छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
 2. अंत सेमेस्टर परीक्षा की मार्कशीट की एक प्रति।

The Students Seeking re-allotment to the hostel need to submit the following documents too:

1. A duly signed letter from the HOD/Incharge/Director of the Department authorizing that the student has passed the examination.
2. A Copy of the end semester examination marksheet.



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर-208024
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा ग्रेड A++ प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly known as Kanpur University, Kanpur)



- ❖ छात्र/छात्रा एवं अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का उत्तदायित्व होगा कि वे ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त छात्रावास आवंटन होने के क्रम में ऊपर दिये गये सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने-अपने छात्रावास में पूर्ण करने के उपरान्त ही जमा करें फॉर्म अधूरा जमा करने/फॉर्म न जमा किये जाने पर छात्रावास का आवंटन कर दिया जायेगा परन्तु कमरे का आवंटन नहीं किया जायेगा।

It Will be the responsibility of the student and the guardian to ensure that after applying online, they submit the hard copy of all the documents mentioned above to their respective hostels only after completing them in order to get hostel allotment. If the form is not submitted/incomplete, the hostel will be allotted but the room will not be allotted.

- ❖ छात्रावास मेस 16 जुलाई 2025 से प्रारम्भ होगी।
The Hostel Mess shall open from 16 July 2025.
- ❖ छात्रावास परिसर 15 जुलाई 2025 से खुला रहेगा। किसी भी छात्र/छात्रा को नियत तिथि से पहले छात्रावास परिसर में रुकने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
The Hostel Premises will be open from 15th July 2025. No Students will be allowed to stay in the hostel premises before the due date.

Soni Gupta
for Chief Warden
C.S.J.M. University,

समक्ष:- श्रीमान/सुश्री/श्रीमती वार्डन

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

मैं शपथपूर्वक एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ/देती हूँ

1. यह कि मैं _____ पुत्र/पुत्री _____ विश्वविद्यालय के _____ संस्थान के कक्षा _____ कोर्स _____ वर्ष _____ की छात्र/छात्रा हूँ।
2. यह कि मैं हॉस्टल टाइम-टेबल का सत्यनिष्ठा से अनुपालन करूँगा/ करूँगी।
3. यह कि मैं छात्रावास द्वारा नियत किए गए कक्ष में बिजली के उपकरण (मुख्यतः कुक टॉप, प्रेस, हीटर, टीवी, अलग से पंखा, कूलर इत्यादि) का प्रयोग नहीं करूँगी/करूँगा। यदि चोरी-छुपे इन उपकरणों का प्रयोग करते समय मेरे अथवा किसी और के साथ किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होती है तो इस संबंध में पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व मेरे अभिभावक एवं मेरा होगा।
4. यह कि मैं छात्रावास में विभिन्न ऋतुओं के आधार पर छात्रावास से बाहर व अंदर आने/जाने की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करूँगी/करूँगा। यदि छात्रावास से बाहर रहने के दौरान मैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होती/होता हूँ तो इस संबंध में पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व मेरे अभिभावक एवं मेरा होगा।
5. यह कि मैं छात्रावास में संचालित मैस हेतु निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत एवं निर्धारित वेशभूषा में मैस में ही बैठकर भोजन ग्रहण करूँगा/करूँगी। मैस का भोजन कभी भी मेरे कमरे में मेरे अथवा किसी और के द्वारा नहीं ले जाया जाएगा। मैं छात्रावास व मैस में किसी भी कर्मचारी एवं छात्रावास बॉर्डन से दुर्व्यवहार नहीं करूँगी एवं अपने किसी विभागीय/ व्यक्तिगत मित्र/ रिश्तेदार आदि को अपने कक्ष में बिना पूर्व अनुमति के नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी।
6. यह कि मैं छात्रावास एवं मैस के मद में देय सभी शुल्कों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जमा करूँगी/करूँगा। सत्र के मध्य में छात्रावास शुल्क मैं यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई वृद्धि की जाती है तो उसकी प्रतिभूति मेरे द्वारा अधिकतम एक माह में देय होगी। उपरोक्त शुल्क समय से नहीं जमा होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक विधिक कार्रवाई के प्रति मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।
7. यह कि मैं किसी प्रकार के प्रतिबंधित मादक/नशीले पदार्थ/दवाओं का उपयोग एवं विक्रय नहीं करूँगी/करूँगा। मैं किसी भी प्रकार के अनधिकृत बैठक/ धरना/ जुलूस में न शामिल होंगी/होंगा और न ही संचालन करूँगी/करूँगा। मैं विश्वविद्यालय एवं छात्रावास की संपत्ति/परिसंपत्ति का नुकसान नहीं करूँगा/ करूँगी। यदि मेरे द्वारा उक्त के संबंध में अवांछनीय कृत्य कारित होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त नुकसान की भरपाई एवं उचित विधिक कार्रवाई के प्रति मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।

8. यह कि मैं छात्रावास नियमावली, जो इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग है, के अन्य नियमों का अक्षरशः पालन करूँगा/ करूँगी। यदि मैं छात्रावास नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करने की दोषी पाई जाती/जाता हूँ तो छात्रावास प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय नियमों के तत्वावधान में तत्काल प्रभाव से बिना छात्रावास फीस वापस किए छात्रावास से निष्कासित कर देने पर पूर्ण उत्तरदायित्व मेरे अभिभावक एवं मेरा होगा। उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थदंड मेरे अभिभावक अथवा मेरे द्वारा देय होगा।
9. यह कि छात्रावास व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित करने एवं कक्ष परिवर्तन करने पर मेरे अभिभावक अथवा मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. यह कि मैं छात्रावास में शालीन वस्त्र एवं शालीन भाषा का प्रयोग करूँगी/करूँगा। उपयुक्त अनुदेश के अनुपालन में मेरी किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा निर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई से मेरे अभिभावक अथवा मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. यह कि मैं विश्वविद्यालय एवं छात्रावास परिसर में होने वाले कार्यक्रम में पूर्णतः योगदान दूँगी/दूँगा। उक्त के संबंध में अथवा आधिकारिक अनुदेश के अनुपालन में ग्रीष्मावकाश/ शीतवाकश की समयावधि शुरू होने से पहले मेरे कोर्स के अंत सिमेस्टर परीक्षा के आखिरी परीक्षा की तारीख के उपरांत दस दिवस के भीतर मेरे द्वारा छात्रावास में नियत किए गए कक्ष को खाली कर दिया जाएगा। तदुपरांत अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय अथवा छात्रावास प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।
12. यह कि मेरे अभिभावक एवं मेरे पूर्ण रूप से संज्ञान में हैं कि छात्रावास एवं विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीन एवं अराजक व्यवहार पर दंड के रूप में छात्रावास रजिस्टर में संबंधित छात्र/छात्रा के नाम पर ब्लैक डॉट्स अंकित कर दिए जाते हैं। साथ ही छात्र/छात्रा के नाम पर अधिकतम तीन ब्लैक डॉट्स अंकित हो जाने पर छात्रावास से निष्कासन का प्रावधान है। उक्त नियम के अनुपालन के संबंध में मेरे अभिभावक एवं मेरा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।

सत्यापन: मैं शपथकर्ता/ शपथकर्ती सत्यापित करता/ करती हूँ कि इस शपथपत्र में उपरोक्त 1 से 12 तक दिए गए समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में हैं, सही हैं और उनका मैं अनुपालन करूँगी। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त आज दिनांक _____ सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता छात्र /छात्रा के पिता के हस्ताक्षर

छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर

माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित वचन पत्र

मैं, _____
मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और वचन देता हूँ कि:

1. मेरे पुत्र/पुत्री/ वार्ड, _____ ने पूरी समझ और मेरी स्पष्ट अनुमति के साथ छात्रावास सुविधा के लिए यह वचन पत्र प्रस्तुत किया है; और मैं के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एक छात्र के रूप में उसके अच्छे आचरण और व्यवहार और प्रावधानों के पालन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराऊंगा।
2. छात्रावास में रहने के दौरान उसकी सभी फीस और अन्य शुल्कों और लंबित बकाया राशि, जुर्माना आदि के भुगतान के लिए मैं खुद को जिम्मेदार ठहराऊंगा।
3. अध्ययन के दौरान मेरे पुत्र/पुत्री/ वार्ड के खिलाफ उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व और किसी भी दीवानी या आपराधिक मामले के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
4. मैं अपने पुत्र/पुत्री/ वार्ड द्वारा दिए गए वचन का समर्थन करता हूँ।
5. मैं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के सभी नियमों और विनियमों का पालन करूंगा।
6. मैं, अपने पुत्र/पुत्री/ वार्ड द्वारा दिए गए एंटी-रैगिंग के वचन का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस वचनपत्र में की गई किसी भी घोषणा के उल्लंघन के मामले में मेरा पुत्र/पुत्री/ वार्ड इसके लिए उत्तरदायी होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई, जिसके लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

स्थान.....

तारीख

.....
(माता-पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर)

नाम.....

विद्यार्थी के साथ संबंध.....

ANTI-RAGGING DECLARATION

Undertaking to be Filled-in and signed by the Students and the Parents of Newly Admitted Students in the following Format.

UNDERTAKING

I, Mr./Ms..... Roll. No..... Programme..... Dept.
.....Student of..... Permanent resident of
..... Telephone No. (give permanent home address with telephone no.),
do hereby undertake on this day month.....year....., the following)

1. That, I am aware of the system of punishment in case of ragging to other student(s) and that in case I am found to be involved in any case of ragging, in any form whatsoever, I am liable for any punishment, including, but not limited to, the following :-
 - a) Cancellation of admission;
 - b) Suspension from attending classes;
 - c) Withholding / Withdrawing Scholarship / Fellowship and / or any other benefits;
 - d) Debarring from appearing for any test / examination and / or other evaluation process;
 - e) Withholding result of any test / examination;
 - f) Debarring from representing the University in any campus interview;
 - g) Debarring from representing the University from attending / participating in any national or international meet/ tournament / youth / festival, etc.;
 - h) Suspension / expulsion from the hostel;
 - i) Rustication from the University for such period as may be decided by concerned authorities;
 - j) Expulsion from the University and consequent debarring from admission to any other educational institution, for such period as may be decided by concerned authorities;
2. That, I, hereby, declare that, I am aware of the Supreme Court of India directive.
3. That, I, further declare that, I fully understand the meaning of 'Ragging' and know that ragging in any form is a punishable offence and the same is banned by the Laws of the land.
4. That, I also understand that, in case I am involved in ragging, the law will take its own course and I will be liable for such punishment and may be deemed fit and proper by the concerned authorities.

DATE:.....

PLACE:.....

.....
FULL NAME AND SIGNATURE OF THE STUDENT

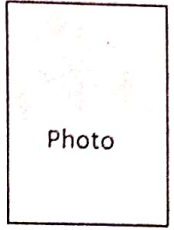
RAGGING IS STRICTLY PROHIBITED

As per the Supreme Court judgment in *Vishwa Jagriti Mission v. Central Government and Others* (2001) 6 SCC 57 and *University of Kerala v. Council of Principals of college in Kerala & Ors.* AIR 2009 SC 2223 as per the Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010 w.r.t. ragging, ragging is a cognizable criminal offence and is strictly prohibited. If any incident of ragging come to the notice of the University, the concerned student shall be given liberty to explain and if his explanation is not found satisfactory, the University upholds the authority to take necessary actions as per law against the student.



संलग्नक-4

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur
Application For Admission in Hostel Session 2025 - 2026
(Note : Don't leave any field blank . Incomplete application will not be considered)



Photo

1. Student Name (in HINDI):
Student Name (in ENGLISH):
2. Father's Name :
3. Mother's Name:
4. Class: Branch/Department..... Ist Year Entrance Rank
5. Permanent Address:
Pin Code
Attach Current Resident Proof
6. Local Guardian's Name: Relation.....
7. Local Address
Pin Code
8. General/ SC/ST/OBC
(Attach Certificate)
9. Attach Educational Marksheet & Certificate
10. Mobile Number of Student Father & Guardian Mobile number.....
11. Fee Receipt number and date (attach photocopy).....

Father/Guardian Signature

Signature of Student

Approval of Director/Head

Student..... Son/Daughter Shri

Class part..... in Department/Institute.....

has admitted , his behavior is satisfactory. I approved his/her admission in the Hostel.

Date

Sign & Stamp of HOD

(To be filled by office)

12. Date of submission of Hostel Application Form
13. Date of receiving Hostel fees/Chalan Chalan No.
14. Hostel Fees and Mess Fees submit respectively Rs Rs..... Date.....
15. Name of the Hostel.....
16. Room Number of the Hostel

Sign of Clerk

Sign of Warden